भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3295

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबल के नियम

†3295. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) इस वर्ष अप्रैल में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिसमें फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबलिंग प्रणाली के नियमों में आवश्यक संशोधन संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एपएसएसएआई) ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 13 सितंबर, 2022 को फ्रंट पैक न्यूट्रीशन लेबलिंग (एफओपीएनएल) मॉडल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) संशोधन विनियमन, 2020 का मसौदा अधिसूचित किया है। हितधारकों से 14,000 से अधिक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

*****